

Section – 4(1)(b)(xvi)

The particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of a library or reading room, if maintained for the public use (सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित हैं तो, कार्यक्रम घंटे सम्मिलित हैं)

The names, designations and other particulars of the Public Information Officers (लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां)

First Appellate Authority (FAA)	Prof. (Dr.) Sunil Kumar Principal, Govt. College Sihma Mobile: 01282 240025 Email: ggcsihma@gmail.com
State Public Information Officer-I (SPIO-I) (For All RTI Applications received on Transfer under section 6(3))	Dr. Laxmi Narayan Associate Professor Govt. College Sihma Mobile: 9467716627 Email: ggcsihma@gmail.com
Assistant State Public Information Officer (ASPIO)	Dr. Arun Kumar Yadav, Assistant Professor of Computer Science, Govt. College Sihma
RTI Clerk	Sh. Vikash, Clerk

भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (<http://righttoinformation.gov.in/rti-actinhindi.pdf>) बनाया है जो 12 अक्टूबर 2005 से लागू हो गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना का अधिकार सार्वजनिक प्राधिकरणों में पारदर्शिता और जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए इन प्राधिकरणों के नियंत्रण में रहने वाली सूचना तक भारतीय नागरिकों की पहुंच के लिए एक साधन है। इस अधिनियम की धारा 8 और 9 में सूचना की कतिपय श्रेणियां दी गयी हैं जिन्हें प्रकटीकरण से छूट दी गयी है। इस अधिनियम में एक मुख्य जनसूचना अधिकारी नियुक्त करने की व्यवस्था भी की गयी है जो सूचना के अनुरोधों का कार्य देखेगा।

इस अधिनियम के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय, सिंहमा का दायित्व

राजकीय महाविद्यालय, सिंहमा एक सार्वजनिक प्राधिकरण है जैसा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में परिभाषित है। इस प्रकार, राजकीय महाविद्यालय, सिंहमा का यह दायित्व है कि वह जनसाधारण को सूचना उपलब्ध कराए।